भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3139
उत्तर देने की तारीख : 22.03.2022

नशामुक्ति केंद्र

3139. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा संचालित और वित्तपोषित नशामुक्ति केंद्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) क्या निजी व्यक्तियों/संगठनों को ऐसे केंद्र स्थापित करने और संचालित करने की अनुमति है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे केंद्रों पर इलाज कराने वाले लोगों की संख्या कितनी है; और
(ड.) सरकार ने नशीली दवाओं के सेवन से संबंधित संस्थागत देखभाल तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क) से (ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशीली दवा की मांग में कटौती करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) नामक एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत (i) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों (यूटी) को पूर्व नशीली दवा के व्यसनियों की निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और आजीविका संबंधी सहायता, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों आदि द्वारा नशीली दवा की मांग में कटौती करने के लिए आयोजित कार्यक्रमों और (ii) एनजीओ/वीओ को एकीकृत व्यसनी पुनर्वास केन्द्रों (आईआरसीए) के संचालन और रखरखाव के लिए, किशोरों के बीच समय से पूर्व नशीली दवा के उपयोग को रोकने के लिए समुदाय आधारित संगतिपरक इंटरवेंशन (सीपीएलआई) और आउटरीच तथा ड्रॉप-इन केन्द्रों (ओडीआईसी) और सरकारी अस्पतालों में व्यसनी उपचार सुविधाओं (एटीएफ) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

नशामुक्ति केन्द्रों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-क** में दिया गया है।

(घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों में उपचार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:-

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	उपचार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या
1.	2018-19	77,479
2.	2019-20	93,364
3.	2020-21	2,08,415
4.	2021-22 (14.03.2022 तक)	2,72,314

(ङ):

i. मंत्रालय द्वारा 355 एकीकृत व्यसनी पुनर्वास केन्द्रों (आईआरसीए) को सहायता प्रदान की जाती है। ये आईआरसीए न केवल ड्रग्स पीड़ितों के उपचार के लिए हैं बल्कि ये निवारक शिक्षा, जागरूकता सृजन, प्रेरक परामर्श, डिटॉक्सीकेशन/नशामुक्ति, पश्चातवर्ती देखभाल तथा समाज की मुख्यधारा में पुनः शामिल करने संबंधी सेवाएं भी प्रदान करते हैं। मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष नशामुक्ति केन्द्र को भी सहायता प्रदान करता है।

ii. मंत्रालय द्वारा 53 समुदाय आधारित संगतिपरक इंटरवेंशन (सीपीएलआई) केन्द्रों को सहायता प्रदान की जाती है। इन सीपीएलआई में असुरक्षित तथा जोखिमग्रस्त बच्चों तथा किशोरों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। इसके अंतर्गत, संगतिपरक शिक्षक बच्चों को जागरूकता सृजन एवं जीवन कौशल क्रियाकलापों में लगाए रखते हैं।

iii. मंत्रालय द्वारा 78 आउटरीच और ड्राप-इन केंद्रों (ओडीआईसी) को सहायता प्रदान की जाती है। इन ओडीआईसी के अंतर्गत नशीले पदार्थों के दुरूपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित जगह उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतंर्गत, जांच, मूल्यांकन तथा परामर्श के प्रावधान शामिल हैं तथा नशीले पदार्थों पर निर्भर व्यक्तियों के लिए उपचार तथा पुनर्वास सेवाओं के वास्ते पश्चातवर्ती रेफरल तथा लिंकेज सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है।

iv. मंत्रालय कुछ सरकारी अस्पतालों में 36 नशा उपचार सुविधाएं (एटीएफ) की स्थापना में भी सहायता प्रदान करता है, जिसे एम्स, नई दिल्ली के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

v. मंत्रालय विभिन्न जिलों में जिला नशामुक्ति केंद्र (डीडीएसी) स्थापित करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। ये डीडीएसी व्यापक सुविधाएं प्रदान करेंगे जिन्हें अब से आईआरसीए, ओडीआईसी और सीपीएलआई द्वारा मिलकर प्रदान किया जा रहा है। डीडीएसी का मुख्य केन्द्र बिन्दु असुरक्षित व्यक्तियों अथवा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से प्रभावित व्यक्तियों को समय पूर्व निवारण, शिक्षा, मांग में कटौती, पहचान, उपचार और पुनर्वास संबंधी सेवाएं प्रदान करना है।

vi. मंत्रालय से सहायता प्राप्त सभी जीआईए संस्थान जो परामर्श, उपचार और पुनर्वास संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, को सुगम पहुंच के लिए जियो-टैग किया गया है।

अनुबंध-क

एनएपीडीडीआर के अंतर्गत परियोजनाओं की राज्य-वार सूची						
क्रम सं.	राज्य	आईआरसीए	सीपीएलआई	ओडीआईसी	एसएलसीए	कुल योग
1	आंध्र प्रदेश	10	4	4	1	19
2	अरुणाचल प्रदेश	0	1	1	0	2
3	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0
4	असम	18	3	3	1	25
5	बिहार	9	0	0	1	10
6	चंडीगढ़	0	1	1	0	2
7	छत्तीसगढ़	3	1	3	1	8
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0
9	दमन और दीव (केवल दमन)	1	0	0	0	1
10	दिल्ली	10	6	8	1	25
11	गोवा	0	0	0	0	0
12	गुजरात	7	3	3	1	14
13	हरियाणा	9	1	1	1	12
14	हिमाचल प्रदेश	6	1	0	1	8
15	जम्मू और कश्मीर	1	2	3	1	7
16	झारखंड	1	0	0	0	1
17	कर्नाटक	33	0	0	1	34
18	केरल	20	2	2	1	25
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
20	लद्दाख	0	0	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	13	4	8	1	26
22	महाराष्ट्र	42	2	0	1	45
23	मणिपुर	26	2	6	1	35
24	मेघालय	1	1	1	0	3
25	मिजोरम	11	0	2	1	14
26	नागालैंड	8	1	1	1	11
27	ओडिशा	40	3	6	1	50
28	पुडुचेरी	1	0	1	0	2
29	पंजाब	5	1	2	0	8
30	राजस्थान	17	5	7	0	29
31	सिक्किम	2	0	0	0	2
32	तमिलनाडु	22	0	0	1	23
33	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
34	तेलंगाना	8	1	1	1	11
35	त्रिपुरा	0	0	2	0	2
36	उत्तर प्रदेश	19	5	9	0	33
37	उत्तराखंड	4	1	1	1	7
38	पश्चिम बंगाल	8	2	2	1	13
	कुल योग	**355**	**53**	**78**	**21**	**507**

*****